(89)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प3 (28) नवि /3/96 जयपुर, दिनांक: 11.1.2002

परिपत्र

विषय :- प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि में आवासीय से गैर आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन के अधिकार।

प्रशासन शहरो के संग अभियान में त्वरित कार्य निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 एवं इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1.8.2001 एवं परिपत्र दिनांक 22.2.2000 की निरंतरता में एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उप धारा (2 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अभियान तक के लिये आवासीय से गैर आवासीय 100 व. ग. तक भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के लिये नगर निगम/नगर परिषद्/ नगर पालिका/नगर विकास न्यास /जयपुर विकास प्राधिकरण के लिये राज्य सरकार निम्न प्रकार से भू-उपयोग परिवर्तन समितियों का एतद्द्वारा गठन करती है :-

1. नगर निगम क्षेत्र, जयपुर

1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष
2.	संबंधित आयुक्त	सदस्य
3.	वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक	सदस्य

2. जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र

1.	उपायुक्त/जोनल अधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक	सदस्य
3.	संबंधित जोनल अभियंता/तहसीलदार	सदस्य

3. नगर निगम, जोधपुर एवं कोटा

1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम	अध्यक्ष
2.	सचिव, नगर विकास न्यास	सदस्य
3.	वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक	सदस्य

(53)

(204)

4. नगर विकास न्यास

1.	सचिव, नगर विकास न्यास	अध्यक्ष
2.	आयुक्त, नगर परिषद्	सदस्य
3.	संबंधित उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक	सदस्य

5. नगर परिषद्/पालिकाएं

1.	आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी	अध्यक्ष
2.	अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता	सदस्य
3.	संबंधित तहसीलदार/अन्य अधिकारी जो जिला कलेक्टर द्वारा नामजद किया गया हो	सदस्य

भू-उपयोग परिवर्तन की दरें उक्त अधिसूचनाओं के अनुरूप देय होंगी। भू-उपयोग परिवर्तन के लिये आपत्तियां मांगने के लिये वांछित समयावधि में शिथिलन दिया जाकर यह प्रावधान किया जाता है कि मजमेआम में आपत्तियां मांगकर निर्णय किया जावे।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

(54)

(205)